

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० २०४] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त ९, १९७२/श्रावण १८, १८९४

No. 204] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 9, 1972/SRAVANA 18, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 9th August 1972

G.S.R. 371(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts raw naphtha [falling under item No. 6(i) of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944)] intended for use as fuel in the manufacture or processing of steel and steel products, from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Act as is in excess of Rs. 128.50 per kilolitre at fifteen degrees of Centigrade thermometer:

Provided that—

- (i) it is proved to the satisfaction of the Collector of Central Excise that it has been so used; and
- (ii) the procedure set out in Chapter X of the Central Excise Rules, 1944, is followed.

2. The exemption granted by this notification shall remain in force upto and inclusive of the 8th day of August, 1973.

[No. 186/72.]

K. VISWANATHAN, under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 1972

सा० का० नि० 371 (घ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 6 (i) के अन्तर्गत आने वाले कच्चे नैफ्था को, जो इस्पात और इस्पात उत्पादों के निर्माण और प्रसंस्करण में ईंधन के रूप में प्रयोग के लिए आशायित है, उक्त अधिनियम के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क के उतने भाग से एतद्द्वारा छूट देती है, जितना 15 डिग्री सेंटिग्रेड थर्मामीटर पर 128.50 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक है :

परन्तु यह तब जबकि —

- (i) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर को समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया जाए कि उसका इस प्रकार प्रयोग किया गया है ; और
- (ii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अध्याय 10 में उपवर्णित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है ।

2. इस अधिसूचना द्वारा दी गई छूट 8 अगस्त, 1973 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी ।

[सं० 186/72]

के० विश्वनाथन, अवर सचिव ।